

गौफरी के अर्थ बनाने का फर्द अहकाम

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आर के
केस संख्या 50/2025

(टी. आर.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	23/09/25	टी. आर. अधीनस्थ 01 ता. 03 प्रस्ताव नहीं होने पर अवकाश स्वतः ही बंद कर दिया जाएगा। पत्रावली करते अवकाश अधीनस्थ टी. आर. अधीनस्थ 01 ता. 03 दिनांक 08/10/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आर के मुंबातय-जयपुर
	08/10/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तालय उक्त पत्र उपाध्याय। गत दिनांकानुसार पालना के अवकाश अधीनस्थ टी. आर. अधीनस्थ 01 ता. 03 प्रस्ताव नहीं किया गया है, अतः अवकाश अधीनस्थ टी. आर. अधीनस्थ 01 ता. 03 बंद किया जाता है। कहना अधीनस्थ टी. आर. पर सुनो गई। यूनि अधीनस्थ की कार से वादना का अधीनस्थ टी. आर. का किसी भी दस्तावेज स्तर पर किसी भी रूप में कोई रिकॉर्ड प्रस्ताव नहीं किया गया है। जिससे लक्ष्य 3 इस्टिमेट मूलका में अधिकाधिक डिवाइस की गयी है। अतः यदि मूलका में अधिकाधिक डिवाइस की गयी है। जिससे वादवस्तु का न्यायित 3 इस्टिमेट मुनिवादात्मक को संरक्षित रखा जाना न्यायिकता समझते हैं। अतः उक्त पत्र काशन को लक्ष्य मूलका जारी अधीनस्थ अधीनस्थ को पाबन्द किया जाता है डि के वरु। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आर के मुंबातय-जयपुर

गौफरी के अर्थ बनाने का फर्द अहकाम

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आर के

केस संख्या 50/2025

(टी. आर.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	08/10/25	गौफरी सांगवाल नदी किनारे जिला जयपुर स्थित वाद अधीनस्थ मुनि आगामी रजपना नं: 229, 258, 273, 275, 276 कुल क्षेत्रफल 05 कुल रकबा 0.7900 हे. के विस्तार में नाम को केचान मन्त्रालय द्वारा जारी तथा भौका वि. रिपोर्ट की परामर्शित अधिनस्थ निर्णय सुनाया गया। पत्रावली पेश हुए शुभ संकेत के अभाव में प्रस्ताव को अग्रिम में धारित रखा है। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आर के मुंबातय-जयपुर	